

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कमांक:-मुसप्र/2015/998

दिनांक:- 22-12-15

आदेश

अरावली विहार, योजना भिवाड़ी में अल्प आय वर्ग के 39 एवं मध्यम आय वर्ग-अ के 15 (जी+3) 15 फ्लेटो का खुली ब्रिकी योजना द्वारा निस्तारण करने की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा अरावली विहार, योजना भिवाड़ी में अल्प आय वर्ग के 39 एवं मध्यम आय वर्ग-अ (जी+3) के 15 फ्लेटो को खुली ब्रिकी योजना द्वारा अपनी अनुशंषा की है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	आय वर्ग	फ्लेट्स की संख्या	निर्मित क्षेत्रफल (व.मी.)	फ्लेट संख्या
1	LIG (G.F)	6	61.432	9/291, 9/292, 9/305, 9/307, 9/321, 9/323
2	LIG (F.F)	10	52.102	9/293, 9/294, 9/295, 9/296, 9/310, 9/311, 9/312, 9/326, 9/327, 9/328
3	LIG (S.F)	11	49.769	9/74, 9/186, 9/267, 9/297, 9/300, 9/313, 9/315, 9/329, 9/330, 9/331, 9/332
4	LIG (T.F)	12	45.103	9/14, 9/31, 9/191, 9/301, 9/303, 9/304, 9/317, 9/318, 9/319, 9/333, 9/334, 9/335
5	MIG-A (G.F)	02	86.533	8/241, 8/243
6	MIG-A (F.F)	02	72.000	8/197, 8/199
7	MIG-A (S.F)	03	68.367	8/185, 8/172, 8/251
8	MIG-A (T.F)	08	61.100	8/160, 8/175, 8/192, 8/221, 8/222, 8/270, 8/271, 8/286
TOTAL		54		

उक्त सारणी में दर्शाए गये आवासो का निस्तारण निम्न शर्तों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है:-

उक्त आवासो के अलावा संबंधित स्कीम में कोई अन्य आवास खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है। आवासो का निस्तारण प्रचार-प्रसार के माध्यम से नियमानुसार किया जावे। आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है। किसी भी अन्य प्रकार से निस्तारण करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर सुनिश्चित कर ले। उक्त प्रस्तावित आवासो में किसी भी प्रकार का विवाद/न्याय विवाद लम्बित नहीं है तथा उक्त आवासो का निरस्तीकरण नियमानुसार किया गया है। आवासो का निस्तारण करने से पूर्व तकनीकी सहायक आवासन आयुक्त महोदय द्वारा जारी कार्यवाही विवरण कमांक टीए/एच.सी./2015/624 दिनांक 03.11.15 (प्रति संलग्न) की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त एवं माननीय अध्यक्ष महोदय का पत्रावली पैरा संख्या 19-10/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य संपदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्बन्ध प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर, रा0आ0म0 अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-भिवाड़ी, रा0आ0म0 भिवाड़ी।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्बन्ध प्रबन्धक